Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भरतपुर में सहायक उपनिरीक्षक पुलिस 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *01 दिसम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भरतपुर इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये रामवीर सिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, कार्यवाहक इंचार्ज, चौकी आरबीएम हास्पिटल, पुलिस थाना मथुरागेट, जिला भरतपुर को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भरतपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें में आरोपियों का चालान करने तथा उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में उसके परिजनों के नाम निकालने की एवज में अनुसंधान अधिकारी रामवीर सिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, कार्यवाहक इंचार्ज, चौकी आरबीएम हास्पिटल, पुलिस थाना मथुरागेट, जिला भरतपुर द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी भरतपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेश मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री श्रवण कुमार** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामवीर सिंह पुत्र श्री रामशरण जाट निवासी ग्राम धनसौटी, पुलिस थाना कुम्हेर, जिला भरतपुर हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, कार्यवाहक इंचार्ज, चौकी आरबीएम हास्पिटल, पुलिस थाना मथुरागेट, जिला भरतपुर को परिवादी से **20 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस डॉ. विष्णुकान्त के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।